केंद्रीय विद्यालय, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय,
नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110067
KENDRIYA VIDYALAYA, JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY,
NEW MEHRAULI ROAD, NEW DELHI-110067
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)
Email : kvjnu.del@gmail.com website: https://newmehrauliroadjnu.kvs.ac.in Ph. No.: 26741327 Fax. No.: 26741118

फा.-1430/के.वि./जे.एन.यू./PTM/2022-23/ दिनांक: 12-02-2023

अपील सह चेतावनी पत्र

प्रिय अभिभावक,

केंद्रीय विद्यालय जेएनयू एन एम आर नई दिल्ली से दिनांक: 24-10-2022 को उपर्युक्त विषय सम्बन्धी एक पत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है तथा उसमें वर्णित निर्देशों की अवहेलना पर कुछ विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई । तथापि अनुशासनहीनता की घटनाएँ बीच-2 में घटित हो रही हैं जोकि किसी भी संस्था के सुचारू कार्य में बाधक हैं क्योंकि इन समस्याओं के सुलझाने में जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, उससे हमारा बहुमूल्य समय जो हम विद्यालय तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, का ह्रास होता है । शैक्षणिक सत्र 2022-23 समाप्ति की ओर है फिर भी शेष समय के सर्वोत्तम उपयोग एवं अगले सत्र को बेहतर रूप से प्रारंभ करने हेतु समस्त अभिभावकों के सहयोग तथा विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन के नियमों की पालना अत्यंत आवश्यक है ।

विद्यार्थियों द्वारा किसी भी दशा में विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अन्य विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार जैसे अपशब्दों का प्रयोग, चिढ़ाना, झगड़ना, विद्यालय में कैमरायुक्त फोन प्रयोग करना [हालांकि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फोन विद्यालय में लाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी यदि अभिभावक अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है तो उसे प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य से लिखित अनुमति प्राप्त कर बेसिक फोन जिसमें कैमरा ना हो, लाने की अनुमति दी जा सकती है एवं उस बेसिक फोन को भी विद्यार्थी को विद्यालय में स्विच ऑफ रखना होगा], विद्यालय के बाहर अन्यत्र से किसी को बुलाकर दूसरे विद्यार्थियों के साथ झगड़ा करना, कक्षा से बंक करना, शिक्षक का अपमान करना, सोशल मीडिया पर विद्यालय के शिक्षक/ कर्मचारी/ छात्र - छात्रा से संबंधित अमर्यादित टिप्पणी अथवा पोस्ट करना आदि गंभीर अनुशासन हीनता के कृत्य हैं। ऐसा करने वाले विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित दंडों का प्रावधान विद्यालय अनुशासन समिति के द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।

क्र.सं.	अनुशासनहीनता का प्रकार	प्रस्तावित दंड
1.	विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना	न्यूनतम 10 दिन का निलंबन एवं नुकसान की भरपाई
2.	अन्य विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार जैसे अपशब्दों का प्रयोग, चिढ़ाना, झगड़ना	न्यूनतम 7 दिन का निलंबन एवं यदि किसी विद्यार्थी को चोट लगती है तो विधिसम्मत कार्यवाही
3.	विद्यालय में कैमरायुक्त फोन प्रयोग करना	प्रथम बार-रु. 100/=, दूसरी बार-रु. 500/= एवं तीसरी बार फ़ोन ज़ब्त कर लिया जाएगा, दंड जमा करने के साथ अभिभावक को विद्यालय में आकर लिखित आश्वासन देना होगा
4.	विद्यालय के बाहर अन्यत्र से किसी को बुलाकर दूसरे विद्यार्थियों के साथ झगड़ा करना/ झगडे का प्रयास अथवा धमकाना	अनिश्चितकाल का निलंबन एवं घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को सौंपी जाएगी । गंभीरता के आधार पर निलंबन को स्थाई निष्कासन में भी परिवर्तित किया जा सकता है ।
5.	कक्षा से बंक करना	न्यूनतम 3 दिन का निलंबन
6.	शिक्षक का अपमान करना	अनिश्चितकाल का निलंबन एवं घटना की जाँच अनुशासन समिति को सौंपी जाएगी । गंभीरता के आधार पर निलंबन को स्थाई निष्कासन में भी परिवर्तित किया जा सकता है ।
7.	सोशल मीडिया पर विद्यालय के शिक्षक/ कर्मचारी/ छात्र - छात्रा से संबंधित अमर्यादित टिप्पणी अथवा पोस्ट करना	अनिश्चितकाल का निलंबन एवं घटना की जाँच साइबर सेल क्राइम को सौंपी जाएगी । गंभीरता के आधार पर निलंबन को स्थाई निष्कासन में भी परिवर्तित किया जा सकता है ।

विद्यार्थी का निलंबन अवधि समाप्त होने पर, उसके माता अथवा पिता के लिखित आश्वासन पर ही विद्यार्थी को कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्थाई निष्कासन का निर्णय लिए जाने पर स्वत: टीसी जारी कर दी जाएगी तथा कारण चरित्र प्रमाण पत्र एवं टीसी में दर्ज किए जाएंगें ।

कुछ विद्यार्थी एवं अभिभावक सोचते हैं कि शिक्षा के अधिकार जैसे कानूनों के कारण हम पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। केविसं दिल्ली संभाग के माननीय उपायुक्त महोदय ने भी 10 फ़रवरी को संभाग के समस्त प्राचार्यों को मीटिंग में विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय में अपशब्दों का प्रयोग करने एवं अनुशासनहीनता करने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की तथा समस्त शिक्षकों, प्राचार्यों एवं अनुशासन समिति को कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए क्योंकि मात्र 5-10% अनुशासनहीन विद्यार्थियों के कारण अन्य 90-95% विद्यार्थियों का नुक्सान होता है ।

यहां मैं पुन: स्पष्ट करना चाहूंगा, कि शिक्षा का अधिकार सभी विद्यार्थियों का है। यदि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और 3-4 बच्चों की अनुशासनहीनता के कारण शेष विद्यार्थियों का नुकसान होता है, तो शेष विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उन तीन चार विद्यार्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जिसमें निलंबन के साथ-साथ स्थाई रूप से निष्कासन भी शामिल है, की जा सकती है।

इस बात को भी समस्त अभिभावक अच्छे से अपने पाल्यों को समझा दें कि यदि उनके बच्चे का किसी अन्य बच्चे से कोई विवाद हुआ है तो तुरंत अध्यापक प्राचार्य प्राचार्य आदि को बताएं चाहे उनकी गलती हो या ना हो। विद्यालय के बाहर विवाद सुलझाने की नौबत ना आए। यदि कोई भी 2 विद्यार्थी आपस में झगड़ा करेंगे तो भविष्य में विद्यालय प्रशासन सर्वप्रथम उन दोनों को एवं उनका साथ देने वाले समस्त विद्यार्थियों को निलंबित करेगा, तत्पश्चात दोनों पार्टियों के अभिभावकों को बुलाकर एवं जांच करके अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

अंत में मेरा समस्त अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि विद्यालय विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होता है, निष्कासित करने के लिए नहीं, ऐसी मेरी सोच है, किंतु साथ ही अभिभावकों को भी अपने पाल्यों को अनुशासन में रहने की सीख देनी होगी अन्यथा जैसा मैंने उपर्युक्त पैराग्राफ में कहा है कि शेष विद्यार्थियों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यदि हमें ऐसे अनुशासनहीन विद्यार्थियों को निलंबित अथवा निष्कासित करना पड़ेगा तो विद्यालय प्रशासन इसमें कोई ढील नहीं करेगा।

धन्यवाद!

भवनिष्ठ,

प्राचार्य
के.वि., एन.एम.आर.,
जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली-110067